

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

5250

संख्या-ई.स./ जी.एस.
दिनांक २३/७/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।
महोदय,

आपके पञ्च संख्या- सी.एस.जे.एम.वि.वि./सन्धि./१०२०/२००३ दिनांक २३.७.२००४
के संदर्भ में गुजे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने
उठप्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के अधीन सरस्वती महिला
महाविद्यालय विजय नगर, कानपुर को बी.एड. पाठ्यक्रम में सी.सी.टी. की प्रवेश धमता के साथ
स्वविल्त पौष्टि योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की
स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी
निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन
करेगी।
२. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५९/सत्तर-२-
२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं
समय-समय पर इस विधय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा
सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों
का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित
शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो
उठप्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को
प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उठप्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रगुण सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य सरस्वती महिला महाविद्यालय विजय नगर, कानपुर
५. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलक
नगर, शान्ति पथ, जयपुर।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव